नेशनल बुक ट्रस्ट के न्यासी मण्डल द्वारा 3 सितम्बर, 1968 को पारित एक संकल्प की प्रति प्राप्त हुई है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय और राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की सिफारिश की गई है। यह मंत्रालय पहले ही निम्न पुस्तकालयों का अनुरक्षण करता है और सहायता देता है :—

अनुरक्षित

i) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
ii) दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली
(iii) केन्द्रीय-संदर्भ-पुस्तकालय, कलकत्ता

और इन्हें सहायता दी :

i) खुदा बक्श पुस्तकालय, पटना
ii) रजा पुस्तकालय, रामपुर
iii) सार्वजनिक पुस्तकालय, टाऊन-हाल, बम्बई
iv) कोनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, मद्रास

इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं को भी अनुदान देता रहा है जो पुस्तकालय चलाता है स्थानीय/सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। इसके अलावा चौथी पंच-वर्षीय योजना में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु 229.87 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है।

राजधानी में अश्लील पत्रिकाओं की बिक्री

8568. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री देवराव पाटिल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा, उत्तर प्रदेश के एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित 'अंगड़ाई' नामक पत्रिका में महिलाओं के नग्न चित्र होते हैं और उसकी बड़ी संख्या में राजधानी में बिक्री हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुस्तकों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या-चरण शुक्ल) : (क) यद्यपि उल्लिखित पत्रिका ध्यान में नहीं आई है, दो अन्य पत्रिकाएं जिनमें नग्न चित्र हैं दिल्ली प्रशासन के ध्यान में आई हैं।

(ख) दो पत्रिकाओं के प्रकाशकों और सम्पादकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। 1 जनवरी, 1968 से 17 अश्लील पुस्तकों के सम्बन्ध में भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाओं द्वारा किए गए धर्म परिवर्तनों के बारे में सूचना

3569. **श्री राम गोपाल शालवाले** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी धर्म प्रचार संस्थाओं द्वारा कितने व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन किया गया ;

(ख) क्या उक्त धर्म प्रचार संस्थाओं ने धर्म परिवर्तन के तथ्यों के बारे में स्थानीय प्रशासन को सूचित किया है ;

(ग) क्या सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विदेशी धर्म प्रचारकों को धर्म परिवर्तन करने से पहले इस बारे में सरकार को सूचना देनी चाहिए ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मध्य-प्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य अधिनियम 1968 के सिवाय जो हाल में 20 अक्तूबर 1968 से लागू हुआ है, एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म-परिवर्तनों की सूचना अथवा पंजीकरण के लिये कोई कानून नहीं है। अतः पूछी गई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) मध्य प्रदेश के अतिरिक्त स्थानीय